| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एलआर/6576/2006/जोधपुर**<br>**अल्लाबक्ष वगैरह बनाम कृषि उपज मण्डी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **10-12-2025** | **एकल–पीठ**<br>**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री गौरव दबे, अभिभाषक अपीलार्थीगण<br>श्री एन.के. व्यास व श्री रूघाराम चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1<br><br>**आदेश**<br><br>**1–** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>**2–** प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 14–02–1977 द्वारा कतिपय अन्य राजकीय भूमियों के साथ विवादित भूमि वाके ग्राम जोधपुर की खसरा नंबर 73 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा को प्रत्यर्थी संख्या 2 कृषि उपज मंडी समिति (अ श्रेणी) जोधपुर को आवंटित की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने जरिये आम मुख्तयार दिनांक 25–01–2006 को मय धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31–07–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br><br>**3–** विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों का सेटलमेंट के वक्त से कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का अनाधिकृत कब्जा मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया गया था। अपीलार्थीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाने हेतु अलग–अलग चालानों के जरिये 53858 रूपये राजकोष में दिनांक 18–02–1982 को जमा करावाये गये। इस पर रिपोर्ट में पटवारी (भूमि रूपांतरण) व तहसीलदार (भूमि रूपांतरण) ने अपीलार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर स्वीकार किया। नियमानुसार आवंटन अनाधिकृत राजकीय भूमि का ही किया जा सकता है परंतु वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने से यह भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। फिर भी जिला कलक्टर जोधपुर ने विधिविरूद्ध आदेश दिनांक | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>अपील/एलआर/6576/2006/जोधपुर</u>**<br>**अल्लाबक्ष वगैरह बनाम कृषि उपज मण्डी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

14–02–1977 द्वारा इस भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित कर दी। नगर नियोजन विभाग एवं जिला स्तरीय मीटिंग में अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग का हकदार माना है। उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर के पक्ष में किया गया आवंटन विधिविरूद्ध होकर अपीलार्थीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें को सुनवाई का अवसर नहीं मिला तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर विधि विरूद्ध रूप से निर्णय कर अपील खारिज कर दी, अतः अपील स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31–07–2006 तथा जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 14–2–1977 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण से भूमि की कीमत तथा रूपातंरण शुल्क जमा करवाया जाकर भूमि अपीलार्थीगण के नाम नियमित की जावे।

**4–** उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 का कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश के लगभग 28 वर्षों पश्चात अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की है तथा देरी को कण्डोन करने हेतु कोई पुख्ता आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्ट्या अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण का न तो विवादित भूमि पर कोई स्वामित्व अधिकार बनता है और न ही उन्होंने अपीलीय न्यायालय में अपने कब्जे, अधिकार तथा अपील के तथ्यों को साबित करने हेतु किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश किये गये थे। द्वितीय अपील में भी अपील के तथ्यों को किसी दस्तावेज का समर्थन नहीं है। जिला कलक्टर ने आदेश द्वारा भूमि कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर को आवंटित कर दी गई है जिसे विधिविरूद्ध घोषित करवाने का कोई आधार प्रार्थीगण के पास नहीं है। अगर अपीलार्थीगण भूमि पर अपना कब्जा बताते हैं तो वे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी होकर उन्हें भूमि पर किसी प्रकार का कोई विधिक स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों व अपील में प्रस्तुत पक्ष पर विस्तृत व गुणावगुण पर विवेचन द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज की गई है। अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

**5–** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अपीलाधीन आदेश का अध्ययन किया गया।

**6–** जिला कलक्टर जोधपुर ने आदेश दिनांक 14–02–1977 को

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>अपील/एलआर/6576/2006/जोधपुर</u>**<br>**अल्लाबक्ष वगैरह बनाम कृषि उपज मण्डी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | ग्राम जोधपुर की विभिन्न खसरा नंबरों की राजकीय सिवाय चक भूमि कृषि उपज मंडी समिति जोधपुर को आवंटित की गई जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 73 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भी शामिल थी। अपीलार्थीगण द्वारा इस भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला माना बताकर सन् 1982 में संपरिवर्तन हेतु राशि जमा करवाना तथा सक्षम स्तर पर उसका प्रकरण नियमन योग्य होने का क्लेम किया गया है, लेकिन न तो प्रथम अपील और न ही हस्तगत अपील में उनके द्वारा अपनी अपील व तथ्यों को साबित करने हेतु साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये हैं। उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे उनका वर्ष 1977 में वक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटन भूमि पर स्वामित्व होना साबित हो। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि कृषि उपज मंडी समिति जोधपुर को आवंटित की गई, जिसका नियमविरूद्ध होने का हम कोई आधार होना नहीं मानते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा उसे तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस दिये जाने के उल्लेख से स्पष्ट है कि वे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी होकर उनका भूमि पर कोई विधिसम्मत अधिकार नहीं बनता है। उनके द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में कोई पुष्ठ साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत न करने से अपील कतई स्वीकार योग्य नहीं है। जिला कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 14–2–1977 के लगभग 28 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रथम अपील में इतनी लंबी अवधि की मियाद बाहर अपील पेश करने का कोई पुष्ठ एवं स्वीकारयोग्य आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समस्त वस्तुस्थिति तथा तथ्यों को स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचित करते हुये अपीलार्थीगण की अपील खारिज की है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि होना नहीं मानते हैं।<br><br>**7–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–07–2006 यथावत रखा जाता है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।<br><br>निर्णय सुनाया गया।<br><br>**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**<br>**सदस्य** | |